

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 9(112)राज-6/2012/6

जयपुर, दिनांक 16/06/2014

:- अधिसूचना-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) सम्पूर्ण धारा 26 की उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 5(21)राज-4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के तहत नामान्तरकरण के मामलों को बीकानेर संभाग में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान लहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 19.06.2014 से 15.07.2014 तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आझा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मानवीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 16/06/2014 में प्रकाशन हेतु।
8. राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव